

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 50 / 2015

दर्ज दिनांक:-24.06.2015

1. संजय पता- .....प्रार्थी

बनाम

2. राजनदेई पता- .....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

सुरेशसिंह

प्रार्थी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक



निर्णय

दिनांक:-21.03.18

सत्यमेव जयते

यह दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53,88,89,188 आरटीए के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वकील वादीगण व वादीगण को कई बार-बार आवाज लगवाई गई। किन्तु उपस्थित नहीं आए। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण इसी स्टेज पर अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर